पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन नजदीक – आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
कारपोरेट आई0डी0 U40101UR2004GOI028675
दूरभाष नं0 0135-2642006 फैक्स नं0 0135-2643460, Email : md.ptcul@rediffmail.com

सार्वजनिक सूचना

पिटकुल को प्रदत्त पारेषण अनुज्ञप्ति के नियम एवं शर्तों में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के विनियम 37(1), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत प्रावधानों के साथ पठित पारेषण अनुज्ञापी की धारा 3.2 तथा 14ए के तहत संशोधन के लिए पिटकुल की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल), उत्तराखण्ड राज्य की पारेषण कम्पनी ने पिटकुल को प्रदत्त पारेषण अनुज्ञप्ति के नियम एवं शर्तों में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के विनियम 37(1), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत प्रावधानों के साथ पठित पारेषण अनुज्ञापी की धारा 3.2 तथा 14ए के तहत छोटे निवेश की सीमा रु0 2.5 करोड़ से 10 करोड़ तक बढ़ाने हेतु संशोधन के लिए माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है।

अनुज्ञापी के रुप में, पिटकुल द्वारा प्रस्तावित संशोधन के कारण प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अनज्ञापी के कर्तव्यों के निष्पादन, प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव, कर्तव्यों के ऐसे निष्पादन हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य ऐसे विवरण का निरीक्षण तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, निकट–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून – 248002, उत्तराखण्ड से प्राप्त की जा सकती है। उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.ptcul.org) पर उपलब्ध अथवा वेबसाइट से डाउनलोड भी की जा सकती है।

उक्त याचिका पर अभ्यावेदन/आपत्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा **सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, आई0एस0बी0टी0 के पास, पो0ओ0–माजरा, देहरादून – 248171** अथवा ई–मेल द्वारा **(secy.uerc@gov.in)** दिनांक 13.10.2016 तक सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को भेजे जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 757/मु0म0ई0/पिटकुल/ए–2
दिनांक: 12.09.2016

राष्ट्रहित में बिजली बचायें।